

आदेश

रिट याचिका संख्या: ए-6280/2026 आरक्षी 182222548 रविन्द्र यादव बनाम उ०प्र०राज्य व अन्य में पारित मा०उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक: 03.07.2026 के अनुपालन में आरक्षी 182222548 रविन्द्र यादव को अनुकम्पा के आधार पर जनपद-श्रावस्ती से वाराणसी परिक्षेत्र स्थानान्तरित किया जाता है। कर्मी का गृह जनपद आजमगढ़ है।

यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड के कार्यवृत्त सूची संख्या: एएसपी-(ई-1)-(जनरल/मा०उच्च न्यायालय)-604/2026 दिनांक: 11-08-2026 में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है।

DGP HQRS UP LKW



DG-IV-STHA-(604)/2026/726 DT 11-08-2026

(रिहल मिश्रा)

अपर पुलिस अधीक्षक, स्थापना
नि० पुलिस उप महानिरीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या: डीजी-चार-स्था०-(604)/2026/726

दिनांक: अगस्त 11, 2026

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस अधीक्षक, जनपद-श्रावस्ती को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त कर्मी को तत्काल कार्यमुक्त करते हुये प्रस्थान कराये जाने की तिथि से सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो तत्काल इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2- पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र, वाराणसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त कर्मी के आगमन/जनपद आवंटन की सूचना से सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो तत्काल इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।
2. पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, उ०प्र०, लखनऊ।